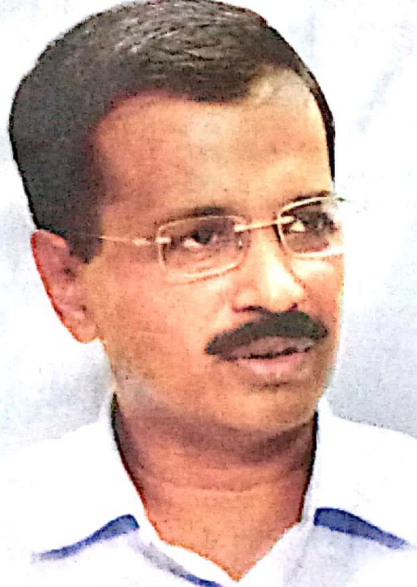




अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

www.edistrict.delhigovt.nic.in

योजना की आरंभ तिथि : 01 दिसंबर 2018

आवेदन की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2019

दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों से वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।
3. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।
4. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।
7. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।
8. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना।

सभी शैक्षिक संस्थानों से अनुरोध है कि वे विद्यार्थियों को उनकी योग्यतानुसार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मार्गदर्शन करने में अपना पूरा सहयोग दें और छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार साथ-साथ उनके आवेदन पत्रों का सत्यापन भी करें। वे यह भी सुनिश्चित करें कि सभी पात्र छात्र अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें।

योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी, ऑन-लाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया तथा आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सत्यापित करने की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर लॉग-ऑन करें।

- राजेन्द्र पाल गोतम

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, दिल्ली